



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029  
वेबसाइट: [www.cercind.gov.in](http://www.cercind.gov.in)

वेब साइट : [www.cercind.gov.in](http://www.cercind.gov.in)

टाइल / 2024  
प्रतिवर्ष 2020 तक

12.2024

प्रधानमंत्री

को  
आधीन नोटिस

स्थान IV सी पावर ड्रांसमिशन लिमिटेड, बी-९, कुपुब इंस्टीटयूशनल  
वारिया सराय, नई दिल्ली-110016, हारा निम्नलिखित घटकों का शामिल  
नेमाण स्वामित्व प्रदान और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात "परियोग"

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास भं अनुसूचित सीओडी
1.	2x330 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टरों और 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर सहित 3x1500	

<p>एमवीएप्प, 765/400 केवी और 5x500 एमवीए 400/220 केवी मंदसौर पूलिंग स्टेशन की स्थापना</p> <p>- 765/400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी - 3 नंबर। (एक स्पेयर यूनिट सहित 10x500 एमवीए सिंगल फेज यूनिट)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400/220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी - 5 नंबर (220 केवी बस सेवान-1 पर 3 नंबर और 220 केवी बस सेवान-2 पर 2 नंबर)</li> <li>- 765 केवी आईसीटी बे - 3 नंबर</li> <li>- 400 केवी आईसीटी बे - 8 नंबर</li> <li>- 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर सिंगल फेज यूनिट)</li> <li>- 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नंबर</li> <li>- 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (इंदौर लाइन के लिए)</li> <li>- 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>- 400 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर</li> <li>- 220 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर</li> <li>- 220 केवी लाइन बे - 7 नंबर (बस सेवान-1 पर 4 नंबर और बस सेवान-2 पर 3 नंबर)</li> <li>- 220 केवी बस सेवानलाइजर - 1 सेट</li> <li>- 220 केवी टीबीसी बे - 2 नंबर</li> <li>- 220 केवी बीसी बे - 2 नंबर</li> </ul> <p><b>भावी प्रावधान:</b> निम्नलिखित के लिए स्थान:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- बे सहित 765 / 400 केवी आईसीटी - 3 नंबर</li> <li>- सिवचेबल लाइन रिएक्टरों सहित 765 केवी लाइन बे - 12 नंबर</li> <li>- बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>- 765 केवी सेवानलाइजर बे: 1 सेट</li> <li>- सिवचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 12 नंबर</li> <li>- बे सहित 400 / 220 केवी आईसीटी - 5 नंबर</li> <li>- बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>- 400 केवी सेवानलाइज़ेशन बे - 1 - सेट</li> <li>- 220 केवी लाइन बे - 11 नंबर</li> <li>- 220 केवी सेवानलाइज़ेशन बे: 1 सेट</li> <li>- 220 केवी बीसी और टीबीसी: 1 नंबर</li> <li>- एमएससी (2x125 एमवीएआर) सहित स्टेट्वॉर्म (<math>\pm 300</math> एमवीएआर) और 400 केवी बे सहित एमएसआर (1x125 एमवीएआर)</li> </ul>	<p>एसपीवी अधिग्रहण से 24 मास</p>
<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मंदसौर पीएस - इंदौर (पीजी) 765 केवी ढी / सी लाइन</li> <li>• मंदसौर पीएस के मंदसौर सिरे - हंदौर (पीजी) 765 केवी ढी / सी लाइन पर प्रत्येक साईंट पर 1x330 एमवीएआर सिवचेबल लाइन रिएक्टर (एसएलआर)।</li> <li>⇒ 330 एमवीएआर, 765 केवी तिव्यचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>⇒ 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्थिरिंग सपकरण - 2 नंबर</li> <li>• मंदसौर पीएस - इंदौर (पीजी) 765 केवी ढी / सी लाइन की समाप्ति के लिए इंदौर (पीजी) पर 765 केवी लाइन बे का 2 नंबर</li> </ul>	

स्व)

- ग) स्विचबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

  - सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.9.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
  - रिकॉर्ड में संपलब्द सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 317 /टीएल./2024 में दिनांक 16.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
  - राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
  - नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपचारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 27.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - आयोग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने त्वयिवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / भी नहीं दिया जाएगा।

हस्ताक्षर/-  
(हरप्रीत सिंह पूर्णी)  
सचिव

2020-2021 学年上学期